

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-2071 दिनांक-13.05.2016 के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के आदेश ज्ञापांक संख्या-9821 दिनांक-05.08.2016 द्वारा श्री लवकुश चौधरी (RDD No./000889) की सेवाएँ श्रम संसाधन विभाग को वापस की गयी हैं। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ के आदेश ज्ञापांक संख्या-164 दिनांक-16.02.2017 के द्वारा (दिनांक-21.02.2017 के पूर्वाहन से) विरमित किया गया है। उक्त आलोक में इनके द्वारा समर्पित योगदान कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि से स्वीकृत करते हुए कॉलम संख्या-6 में अंकित अंचल/जिला में पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	RDD / DDNO-	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक/जन्म तिथि	गृह जिला	योगदान की तिथि	पदस्थापित अंचल/जिला
1	2	3	4	5	6
1.	RDD / 000889	श्री लवकुश चौधरी, वरीयता क्रमांक-137 जन्म तिथि-05.01.1959	भागलपुर	08.05.2017	घोघरडीहा, मधुबनी

- पदस्थापित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी निदेशित हैं कि पदस्थापित स्थल पर अपना योगदान अविलम्ब सुनिश्चित करें।
- प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- इनके दिनांक-21.02.2017 से दिनांक-07.05.2017 तक तथा दिनांक-08.05.2017 से दिनांक-16.05.2017 तक की क्रमशः चिकित्सीय अवकाश/पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि को विनियमित किये जाने के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

ह०/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-19/2010 श्र०सं०- दिनांक-
प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार।

- ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-19/2010 श्र०सं०- दिनांक-
प्रतिलिपि:-निदेशक(क०श्र०),बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक, बिहार/श्रमायुक्त के सचिव/श्री लवकुश चौधरी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- श्रम अधीक्षक, मधुबनी निदेशित हैं कि इनका योगदान संसूचित करें।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार।

- ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-19/2010 श्र०सं०- 2833 दिनांक- 17.5.17
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/जिलाधिकारी, पूर्णियाँ/मधुबनी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार।